प्रारुप–5

परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति

संख्या- 90 /III(2)/19-11(एम0एल0ए0)/2017टी0सी0

प्रेषक,

एस0एस0 टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 09 जनवरी, 2019

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में विभिन्न 05 कार्यों हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे0का0, लोक निर्माण विभाग, टिहरी गढवाल द्वारा विभिन्न 05 कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के कार्यों के आगणनों, जिनकी लम्बाई 23.00 किमी0 तथा कुल लागत ₹ 230.12 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत **औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 230.12 लाख (रू0 दो करोड तीस लाख बारह हजार मात्र)** की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात 05 कार्यों हेतु ₹ 0.50 लाख (₹ पचास हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रकियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशो का कडाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशो का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन0पी0वी0 भूमि अधिग्रहण यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0 22 लेखाशीर्षक 5054 सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सडकें-337-सडक निर्माण कार्य-04-सडक/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-00 -24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(ix)— स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)— वर्तमान मे व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2019 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन मे रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यो मे से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा ।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 274/XXVII/(2)/2019 दिनांक 07 जनवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव

संख्या- /III(2)/19-11(एम0एल0ए0)/2017टी0सी0 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, टिहरी।
4. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, टिहरी गढ़वाल।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, आठवॉं वृत्त, लोक निर्माण विभाग, टिहरी।
9. अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर।
10 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जीवन सिंह)
उप सचिव।

कार्यालय
प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष
लो.नि.वि. उत्तराखण्ड
देहरादून

पृ० सं०-60/20 मा०ता० क./19 दि०-11-1-19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य अभि० क्षे० का० लो० नि० वि० टिहरी।
2. अधीक्षण अभि० 08 वां वृत्त लो० नि० वि० टिहरी।
3. अधिशासी अभि० नि० ख० लो० नि० वि० नरेन्द्रनगर।
4. अधिशासी अभि० आई० टी० सैल विभागाध्यक्ष कार्या० लो० नि० वि० देहरादून।
5. कनिष्ठ अभि० (प्रा०)/बजट वर्ग विभागाध्यक्ष कार्या० लो० नि० वि० देहरादून।

11/01/19

वरिष्ठ [illegible] अधिकारी
कार्यालय प्रमुख [illegible] विभागाध्यक्ष
लो० [illegible]

शासनादेश संख्या-90 /।।(2)/19-11(एम0एल0ए0)/2017टी0सी0 दिनांक 9 जनवरी, 2019 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क.सं	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0 में)	विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र- नरेन्द्रनगर के विकासखण्ड नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत ससमण– कौडियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच.–58) तक जोड़ने हेतु मार्ग का नवनिर्माण कार्य। **(प्रथम चरण)**	5.00	43.08	0.10
2	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–नरेन्द्रनगर के विकासखण्ड नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत कारगिल शहीद स्व0 जगत सिंह मोटर मार्ग का मुख्य मार्ग (एन.एच.–58) से लिंक मार्ग का कार्य। **(प्रथम चरण)**	3.00	25.83	0.10
3	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–नरेन्द्रनगर में गजा डांडाचली मोटर मार्ग से माण्दा टोली मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। **(प्रथम चरण)**	6.00	58.80	0.10
4	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–नरेन्द्रनगर के विकासखण्ड नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिलकणी से तल्ली सिलकणी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। **(प्रथम चरण)**	5.00	43.09	0.10
5	**राज्य योजना के अन्तर्गत** जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–नरेन्द्रनगर के विकासखण्ड नरेन्द्रनगर में भरपूर–टौल–बौंठ मोटर मार्ग से समदर मोटर मार्ग का नवनिर्माण का कार्य। **(प्रथम चरण)**	4.00	59.32	0.10
	कुल	**23.00**	**230.12**	**0.50**

(कुल ₹ पचास हजार मात्र)

(जीवन सिंह)
उप सचिव

Scanned by CamScanner